

(आदेश 20, नियम 6-7, जाबता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

निवासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता
राजस्व वाद संख्या :- 226/2024

1. भादरराम पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. दुलीचन्द उर्फ दुलाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़।

2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा व खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 06.09.2024

वादी की ओर से श्री नरेन्द्रपाल वर्मा अधिवक्ता की व प्रतिवादी की ओर से श्री विजय
वेनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.09.2024 को स्वाति गुप्ता
एवम् उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के
लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

(क) वादी भादरराम को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 10 एस.वी.एन के पत्थर नम्बर
187/202(6) किला नम्बर 4/1/0.051 हैक्टर नहरी, 4/2/0.038 हैक्टर गैर
मुमकिन रास्ता, 5/1/0.139 हैक्टर नहरी, 5/2/0.038 हैक्टर गैर मुमकिन
रास्ता, पत्थर नम्बर 188/202(7) किला नम्बर 1/1/0.139 नहरी, 1/2/0.038
हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता, 2/1/0.139 हैक्टर नहरी, 2/2/0.038 हैक्टर गैर
मुमकिन रास्ता, 3/1/0.139 हैक्टर नहरी, 3/2/0.038 हैक्टर गैर मुमकिन
रास्ता, 4/1/0.139 हैक्टर नहरी, 4/2/0.038 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता,
5/1/0.113 में से 0.088 हैक्टर नहरी, 5/2/0.038 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता,
5/3/0.013 हैक्टर गैर मुमकिन खाला।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 दुलीचन्द उर्फ दुलाराम को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 10
एस.वी.एन. के पत्थर नम्बर 187/202(6) किला नम्बर 6/0.253, 7/1/0.076
हैक्टर नहरी, 7/2/0.025 हैक्टर नहरी, पत्थर नम्बर 188/202(7) किला नम्बर
5/1/0.113 हैक्टर में से 0.012 हैक्टर कृषि भूमि पूर्वी दिशा की तरफ व 0.013
हैक्टर कृषि भूमि दक्षिणी दिशा की तरफ, 7/0.253 हैक्टर।

उपरोक्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 10 एस.बी.एन के खाता संख्या 28/21 में अंकित वादी का नाम बहादुरराम के स्थान पर सही नाम भादर राम दर्ज करने तथा उपरोक्त अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



५
(स्वाति गुप्ता)
मुख्य अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---	योग	---
योग	---		